

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

८९

पत्रांक : 151 / जोन-1 / प्र०अ०-भवन / 2012-13 दिनांक 22/02/2013

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री हेमन्त कुमार सिंधी पुत्र स्व० जमुनादास द्वारा पार्ट आफ नजूल फी होल्ड भूखण्ड संख्या-4ए/2 उपखण्ड संख्या-150/2/ए हेस्टिंग रोड, बंगला नं०-29/18 हेस्टिंग रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) उपजोन संख्या (1F) के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाता है :-

- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्षिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर 02 अद्द वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
- समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कर उक्त का संयोजन Existing सर्विसेस से करना होगा।
- मानचित्र की अनन्तिम स्वीकृति स्टिल्ट पार्किंग, अपर ग्राउण्ड, प्रथम एवं द्वितीय+मर्टी के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतएव यह सुनिश्चित किया जाय कि स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जाय।
- नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 08.02.2013 (छायाप्रति सलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा जो मुख्यतः निम्नवत् है :-
  - भवनों के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा जैसे-सड़क, पटरी, इत्यादि प्रभावित होगी तो उसका मरम्मत एवं निर्माण आवेदक द्वारा कराया जायेगा।
  - भवनों के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि अवस्थापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।
  - पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग हेतु ही किया जाना अनिवार्य होगा।

Continued

Hemant/Snhd  
22/2/13

